

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-30 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 15.04.2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45 / (एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं अष्टम अति.सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर डॉ. वैभव विकास शर्मा	जिला मुख्यालय सागर	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। 2. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण 3. धारा 22(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व्यवहार प्रकरण 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 5. नियमित सिविल वाद प्रकरण जो 2,50,00,001 /- अंकन ढाई करोड एक रुपये से 5,00,00,000 /- रुपये पांच करोड रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां एवं नियमित व्यवहार वाद प्रकरण जो 50,00,00,001 /- अंकन पचास करोड एक रुपये से 75,000,00,01 /- रुपये पचहत्तर करोड रुपये मूल्य के हों, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 6. पुलिस आरक्षी केन्द्र जैसीनगर के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां। 7. न्यायालय प्रथम एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर एवं समस्त रिक्त न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण 8. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 9. भाडा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें 10. दिवाला अधिनियम, के अंतर्गत रुपये 1,00,00,000 /- अंकन एक करोड रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण 11. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अधीन उत्पन्न

			मामले एवं कार्यवाहियां। 12. विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम क्रमांक 10 सागर के न्यायालय द्वारा निर्णीतशुदा (सिविल एवं आपराधिक) प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली विविध, निष्पादन एवं क्लेम राशि भुगतान संबंधी कार्यवाहियां। (एनडीपीएस एवं विद्युत अधि. से संबंधित मामलों को छोड़कर)
--	--	--	---

नोट— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1815- (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:—

सागर दिनांक: 15.04.2026

01. समस्त न्यायाधीशगण, जिला स्थापना सागर।
02. ऑब्जेक्शन क्लर्क, सागर
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

७८